श्री घनश्याम तिवाड़ी : सर, कृपया आप रूलिंग तो दीजिए।

*The Right to Health Bill, 2021

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, 22 जुलाई को हम the Right To Health Bill, 2021 डिस्कस कर रहे थे, जिसे प्रो. मनोज कुमार झा जी ने पेश किया है। उन्होंने अपनी कन्क्लूडिंग स्पीच भी दे दी थी।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : सर, नहीं हुई है।

श्री उपसभापति : कन्क्लूडिंग स्पीच नहीं हुई है, तो आप अपनी कन्क्लूडिंग स्पीच दें। उसके बाद फर्दर हम प्रोसेस करेंगे।

प्रो. मनोज कुमार झा : उपसभापति महोदय, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : प्रो. मनोज कुमार झा जी, कृपया आपस में बात करने की बजाय चेयर की तरफ संबोधित करके बात करें।

प्रो. मनोज कुमार झा: उपसभापति महोदय, मैं माफी चाहता हूं। मेरी मंशा कतई नहीं थी कि मैं चेयर के बिलग जाकर अपने साथियों से बात करूं। महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सदन का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज तकरीबन तीसरा दिन है, इस पर बहुत लम्बी बहस हुई, काफी सार्थक बातचीत हुई। सदन में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था, जिसको इस बिल की भावना से कोई विरोध हो। संसदीय लोकतंत्र में ऐसे कम अवसर होते हैं जब विरोध की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि किसी न किसी प्रकार से सभी साथियों ने इसके विस्तारीकरण की बात की, इसके अंदर कुछ ऐसे बिंदु बताए, जो मुझे और समाहित करने चाहिए थे, जब मैंने यह बिल बनाया था। जाहिर तौर पर मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सारे सदस्यों को धन्यवाद करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।

सर, जिस शिद्दत से आज हमारे भाजपा के साथी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लेकर आए, जो इंट्रोड्यूस हो चुका है, मैं चाहूंगा कि उसी शिद्दत से आप इस बिल के बारे में भी वही नज़रिया रखें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा और आपका विरोध था, विरोध है और विरोध रहेगा, लेकिन राइट टू हेल्थ पर हममें से किसी ने भी इसकी भावना को लेकर विरोध नहीं किया। हाल के एक वर्ष पूर्व जब हमने कोविड की विभीषिका देखी, हमने ऑक्सीजन के लिए हाहाकार देखा था, हॉस्पिटल बेड के लिए हाहाकार देखा था। इसी सदन में चर्चा हुई और सारे सदस्यों ने अपनी कलेक्टिव हेल्पलेसनेस को कई दफ़ा महसूस किया। ईश्वर न करे, वह क्षण इस देश को फिर देखना पड़े, ईश्वर न करे उस तरह के हाहाकार की परिस्थितियां इस देश में पुनः पैदा हों। मैं

---

* Further consideration continued on a motion moved on 22nd July 2022.

माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, वे मुझसे कहकर गए हैं, क्योंकि उन्हें कहीं जाना था। यहां हमारी एमओएस बैठी हुई हैं। संजीदगी से भरे हुए लोग हैं, लेकिन चिंता सामूहिक होनी चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हमारे कई बीजेपी के सदस्य और अलग-अलग दलों के सदस्यों ने आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों की बात की और कहा कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तालियां बजीं, उनके लिए अन्य तरह के समारोह हुए, लेकिन वे फ्रंटलाइन वर्कर्स ज़िन्दा इन्सान हैं। उनका पेट तालियों से नहीं भरेगा, उनकी वाहवाही से उनके घर की चिंताएं खत्म नहीं होंगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स आपकी हेल्थ का पूरा बोझ अपने कंधों पर ढोते हैं। उनके कंधे पर जो बोझ है, वह दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। They are over-worked and under-paid. काम इतना ज्यादा है और उसके एवज़ में हम उन्हें क्या दे रहे हैं! क्या कोई सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, नहीं। कितना मानदेय, पीनट्स, यह नज़रिया आपको राइट टू हेल्थ के विस्तारीकरण और उस गोल तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा। यह मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि राइट टू हेल्थ पर पहली बार बोला जा रहा है। सर, मैं केवल 10-12 मिनट ही लूंगा, उसके बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, तो इसके बारे में संविधान सभा की बैठकों में भी चर्चा हुई। खासकर एक व्यक्ति, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में क्या कहा, तो मैं बाबा साहेब को भी इस बहस में लाना चाहूंगा। सर, बाबा साहेब का नज़रिया बिल्कुल साफ था। वे जानते थे कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी के बगैर नागरिक का सबलीकरण नहीं हो सकता। आज हमने उस छोटे-से फॉर्मूले को भुला दिया है, उसको वापस लाने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही और मैं सहमत भी हूं कि वे लगातार बजट बढ़ा रहे हैं।

उपसभापति महोदय, इस आंकड़े का व्याकरण अद्भुत है। मैं विश्वविद्यालय से अपनी सैलेरी लेता हूं। मेरी सैलेरी बढ़ी, मान लीजिए इन्क्रीमेंट लगती है, तो वह एक साल में बढ़ी। अब उस इन्क्रीमेंट को आप इन्फ्लेशन के इंडेक्स में देखिए। अगर आप ऐलोकेशन्स की रीयल टाइम वेल्यू जज करेंगे, तो आपको लगेगा कि it is too little and even too late. यदि आंकड़ों को लेकर कहेंगे कि यूपीए के दौरान इतना था, हमने इतना बढ़ाया, बाकी इंडिसिस को सामने रखिए और तब कहिए। सर, दुनिया के गरीब मुल्क भी हमसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हमसे गरीब हैं, लेकिन हेल्थ में उनका एक्सपेंडिचर हमसे ज्यादा है, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक पब्लिक हेल्थ पैरामीटर्स को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, आप कितनी भी रिटॉरिकल चीज़ें कर लें, वे कभी भी ज़मीन पर नहीं आ पाएंगी। सर, ग्रामीण भारत हमारी चर्चा से अकसर विलग रह जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदया से आग्रह करूंगा कि देखिए, अकसर यह होता है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में विज़िट करते हैं, तो पहले से जानकारी होती है। किसी पीएचसी को विज़िट करते हैं, उसके बारे में पहले से जानकारी होती है। मेरा राजा-महाराजाओं में न यकीन है और न मैं चाहता हूं कि उनका उदाहरण दिया जाए, लेकिन हम सुनते थे कि हिन्दुस्तान में कुछ राजा-महाराजा होते थे, जो वेश बदलकर निरीक्षण करने के लिए जाया करते थे। आप भी पूरा वेश बदलकर जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : मनोज जी, आप बोलिए। आप चेयर की तरफ देखें। प्लीज़, आपस में बात न करें।

प्रो. मनोज कुमार झा : उपसभापति महोदय, मैं दो छोटे-छोटे उदाहरण दूंगा। एक दिन अटल जी बोल रहे थे और कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने टोका कि अटल जी इतना लंबा बोल रहे हैं। तब वे बोले कि बिना प्रिपेयर करके आया हूं। यदि प्रिपेयर करके आता, तो छोटा बोलता। मैं बिना प्रिपेयरेशन के बोल रहा हूं। उनके लिए सम्मान है। मैंने पहले ही कह दिया था कि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं जानता हूं कि आज शुक्रवार है, तो आप सबकी तुरंत बाहर कोई न कोई एन्गेजमेंट होगी और मजबूरी है कि पार्टी व्हिप है, तो बैठना है। माननीय उपसभापति महोदय, ग्रामीण भारत को लेकर मेरी जो चिंताएं थीं, मैंने उनके बारे में कहा। हमने राइट टू हेल्थ एन्शयोर कर लिया। मुझे याद है कि जब आर.टी.आई. की बात हो रही थी, तब भी बहुत लोगों की ये आपत्तियां थीं कि इससे क्या होगा, इससे क्या बदलाव आएगा? जब आप किसी चीज़ को इस तरह से लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देते हैं, तो उससे यह होता है कि अलग-अलग स्तर पर लोगों के साथ अन्याय होता है, उसका मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। यह ऑक्सफैम की इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट है। मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैंने इसमें मार्क किया था कि कई राज्यों में यह स्थिति है कि इन-पेशेंट केयर में किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, खासकर अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्गों से आते हैं या आम तौर पर आप गरीब हैं। अगर मैं वर्गीय श्रृंखला की बात करूं, तो विस्तार में यह रिपोर्ट बताती है। मैं माननीय मंत्री जी को यह रिपोर्ट भेज दूंगा, ताकि आपके माध्यम से इस पर नज़र पड़े और इस पर कुछ चर्चा हो कि आखिर डिस्क्रिमिनेशन की कितनी लेयर्स हैं और कैसे हम इम्यून होते जा रहे हैं? What I wanted to actually say जब मैंने कहा कि the legislatively guaranteed right will make access to health legally binding and ensure accountability? मैंने पहले भी दवाई की बढ़ती कीमतों के बारे में कहा था और अब दोबारा कह रहा हूं। मेन्टल हेल्थ, मानसिक रोग को लेकर बहस में भी कम चर्चा हुई थी। मेरा उद्देश्य था कि इस पर व्यापक चर्चा हो, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के बाद मेन्टल हेल्थ के केसेज़ में बाढ़ सी आई है। उस बाढ़ की वजह से एक बड़ी आबादी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकती है। आप इंश्योरेंस कंपनियों से कभी बात करके देखिए, रैन्डम चैक करवाइए, कई सारे जो मेन्टल हेल्थ एलिमेंट्स हैं, उनको वे क्लेम में आने ही नहीं देते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स के बारे में मैंने आपसे कह दिया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रैल, 2022 में कहा था कि आंगनवाड़ी सेन्टर्स में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को एप्लिकेबल करो। यह मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कह रहा हूं।

सर, मैं एक आखिरी टिप्पणी कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। यह लाभार्थी शब्द बहुत प्रचलित हो गया है। Our people are not our beneficiaries. They are the citizens of this country, part of the paradigm which is called Welfare State और वेलफेयर स्टेट में यह लाभार्थी की संज्ञा है कि यह लाभार्थी है, लेकिन सर, कोई लाभार्थी नहीं है। मैंने बार-बार इसी सदन में कहा है। कोई भी पार्टी हो, आजकल तो कम्पीटिशन चल पड़ा है, मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त। मुफ्त कुछ नहीं है। उसका टैक्स है, चाहे वह किसी भी फॉर्म में हो। आप उसके टैक्स का एक मिनिमम रिलीफ दे रहे हैं। आप इसको मुफ्त मत कहिए और यह बेनिफिशयरी के नज़रिए से न देखिए, राइट के नज़रिए से देखिए, अधिकार के नज़रिए से देखिए। सर, हास्य के लिए मैं एक छोटी चीज़ सुनाकर खत्म कर दूंगा। विन्स्टन चर्चिल रूज़वेल्ट के यहां जाते थे। रूज़वेल्ट प्रेज़िडेंट थे। वे व्हील चेयर पर चलते थे। चर्चिल अपने विट के लिए फेमस थे,

हालांकि हम उनकी पोलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और कभी नहीं रखेंगे। चर्चिल साहब को व्हाइट हाउस में कमरा मिला था। वे नहा रहे थे और उनके नहाने की आदत थी कि वे नग्नावस्था में नहाते थे, तो वहां रूज़वेल्ट पहुंच गए। जैसे ही व्हील चेयर वहां ले गए, तो रूज़वेल्ट हकबका गए और उन्होंने अपनी व्हील चेयर को मोड़ा। अब देखिए कि चर्चिल कैसे संभालते हैं, वे कहते हैं "Look Mr. President, Prime Minister of U.K. has nothing to hide from you." सर, मैंने यह थोड़ा हल्के माहौल के लिए कहा।

सर, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस पर डिवीज़न ले लूं और मत-विभाजन की मांग करूं, क्योंकि यह बिल हम सबके मन का है, लेकिन मंत्री महोदया मुझे टुकुर-टुकुर देख रही हैं और बाकी लोग भी देख रहे हैं, तो मैं मत-विभाजन की अपनी टेम्प्टेशन को इस अपील के साथ कर्ब करता हूं कि आज नहीं तो कल यह बिल आएगा, आज नहीं तो कल यह होना है। आप तो दूसरों की भी चीज़ों का श्रेय लेते हैं, इसे करके अपना श्रेय खुद ले लीजिए। अगर आप यह कर बैठे, तो इस देश पर और इस देश के नागरिकों पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा और शायद जब आगे हम बात करेंगे, तो हेल्थ के लिए लाभार्थी के नज़रिए से नहीं, बल्कि अधिकार के नज़रिए से बात करेंगे। हमारे आशा कर्मी प्रोटेक्टेड होंगे, आंगनवाड़ी कर्मी प्रोटेक्टेड होंगे, डॉक्टर-पेशेन्ट रेश्यो बेहतर होगा, पीएचसीज़ लैकलस्टर नहीं होंगी, सरकारी अस्पताल में कुत्ते बेड्स में नहीं सो रहे होंगे और शायद बेहतर परिस्थितियां होंगी। Thank you so much, Sir. Thanks to all my friends for the great participation. *Jai Hind!* Let's keep talking like that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Prof. Manoj Kumar Jha. So, are you withdrawing the Bill? Prof. Manoj Kumar Jha, you are not putting the Bill for vote and you are withdrawing the Bill!

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, मैं इसमें एक करार करवाना चाहता हूं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड वापस ले लीजिए। That was in a lighter note. I must say, I have spoken. My friends have spoken, hon. Minister has spoken and we have a general consensus, we would take steps. But my only request is that let it not be baby steps. Let it be a huge step at one point of time and do it soon. I withdraw the Bill, Sir.

The Bill was, by leave, withdrawn.

श्री उपसभापति : इस बिल पर 15 लोग बोल चुके हैं और लगभग साढ़े चार घंटे से अधिक बहस हुई है। Now, we move on to the next Bill, the Constitution (Amendment) Bill, 2022 (amendment of article 153 and substitution of articles 155 and 156). Dr. V. Sivadasan to move for a motion of consideration of the Constitution (Amendment) Bill, 2022. आप बोलिए। आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं, तो मोशन मूव करने से पहले बोल सकते हैं।